

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2021/2012/कोटा.

मैसर्स सीमेन्स एन्टरप्राइजेज कम्प्यूनिकेशन्स प्रा0 लिमिटेड,
130, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुम्बई-400018 (महाराष्ट्र).अपीलार्थी.

बनाम

- (1) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा.
(2) उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राजीव अग्निहोत्री, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. एस. राठौड़,
उप-राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08/01/2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 126/आरवैट/एनआरडी/11-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 14.5.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे 'सशक्त अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 22.6.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन कोटा द्वारा दिनांक 18.6.2011 को मैसर्स गति लिमिटेड ब्रांच नई धानमण्डी कोटा के गोदाम की जांच किये जाने पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स सीमेन्स एन्टरप्राइजेज कम्प्यूनिकेशन प्रा0 लि0 मुम्बई से आयातित माल बाबत प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में घोषणा पत्र वेट-47 संख्या 7269116 के पार्ट-'बी' व 'सी' पूर्णतः रिक्त पाये गये एवं तिथि, माह व कीमत पंच किये हुए नहीं पाये गये तथा अन्य घोषणा पत्र वेट-47 संख्या 8840766 के भी पार्ट-'बी' व 'सी' पूर्णतः रिक्त पाये गये एवं तिथि, माह व कीमत पंच किये हुए नहीं थे। उक्त आधारों पर सशक्त अधिकारी द्वारा माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए, करापवंचन का प्रकरण होने से आयुक्त वाणिज्यिक कर के परिपत्र दिनांक 7.8.2009 एवं

लगातार.....2

अधिसूचना दिनांक 31.3.2011 की पालना में प्रकरण सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया। इस पर सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरण में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 6,71,631/- आरोपित करने सम्बन्धी आदेश दिनांक 22.6.2011 पारित किया। अपीलार्थी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.5.2012 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रारम्भ करते हुए कथन किया कि परिवहनित माल के सम्बन्ध में सभी पूर्ण दस्तावेज जांच के वक्त मौजूद थे। वास्तव में माल केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 6(2) के तहत बिल्टी बेचान द्वारा विक्रय किया गया था, जिसमें करापवंचन की मंशा होना सम्भव ही नहीं था। अग्रिम कथन किया कि सशक्त अधिकारी ने केवल घोषणा पत्र वैट-47 के पार्ट-'बी' व 'सी' खाली होने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित की है तथा प्रकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त गुलजग इण्डस्ट्रीज निर्णय से आच्छादित बताया। जबकि माल के दस्तावेजों यथा बिल्टी पर घोषणा पत्र की संख्या अंकित थी, जिससे घोषणा पत्र के कॉलम खाली होने की पूर्ति हो जाती है। धारा 76 अनुसार करापवंचन की मंशा के अभाव में शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। अग्रिम कथन किया कि दस्तावेज असत्य व कूटरचित भी नहीं है तथा इनके बारे में सशक्त अधिकारी द्वारा कोई जांच भी नहीं की गई है। इसलिए आरोपित शास्ति व अपीलीय आदेश से इसकी पुष्टि दोनों ही अविधिक होने के कारण अपास्तनीय बताया।

अग्रिम कथन किया कि घोषणा पत्र के कॉलम खाली होने व विहित स्थानों पर पंचिंग नहीं होने के तकनीकी आधारों पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। घोषणा पत्र खाली होने के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह केवल मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज में ही लागू होता है अन्य में नहीं। घोषणा पत्र के होते हुए करापवंचन मानकर शास्ति आरोपण अनुचित है। तर्क के समर्थन में माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 123 एस.टी.सी. 282 पेश किया। कथन किया

लगातार.....3



कि तकनीकी कारणों से शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 25 एस.टी.सी. 211 में निर्णीत किया है। संदेह के आधार पर भी शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। तर्क के समर्थन में 42 एस. टी.सी. 348 (एस.सी.) व 48 एस.टी.सी. 369 (पंजाब व हरियाणा) को उद्धरित किया है।


अग्रिम कथन किया कि माल के साथ चालान उपलब्ध होने तथा बिल नहीं होने पर भी शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। बिल्टियों में भी मामूली अशुद्धि के लिये शास्ति अविधिक ठहरती है। तर्क के समर्थन में (2013) 35 टैक्स अपडेट 42 (राजस्थान कर बोर्ड-एकलपीठ); (2013) 36 टैक्स अपडेट 71 (राजस्थान) व (2013) 35 टैक्स अपडेट 189 (राजस्थान) के उद्धरण प्रस्तुत कर कथन किया कि सशक्त अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त कर अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अवर अधिकारियों के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज प्रकरण के निर्णय में अपूर्ण घोषणा पत्र के बिन्दु पर विवाद निर्णीत कर दिया गया है। घोषणा पत्र के कॉलम खाली होने की स्थिति में करापवंचन की मनोदशा स्वतः ही प्रमाणित हो जाती है। अग्रिम कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवहनित माल के साथ पाये गये घोषणा पत्र वैट-47 के मुख्य पार्ट जो कि माल के विवरण से सम्बन्धित है तथा पार्ट-‘सी’ जो ट्रांसपोर्टर से सम्बन्धित है, खाली पाये गये हैं। ऐसी स्थिति में घोषणा पत्र के नम्बर बिल्टी पर अंकित होने पर भी घोषणा पत्र को पूर्ण नहीं माना जा सकता। इसलिए वैट अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन होने के कारण 76(6) के तहत शास्ति आरोपित कर सशक्त अधिकारी ने कोई भूल नहीं की है तथा अपीलीय अधिकारी ने उसकी पुष्टि कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है।

उक्त विवेचन पर अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित निर्णयों के उद्धरित अंशों का अध्ययन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार माल के परिवहन के समय अन्य दस्तावेजों के साथ पाया गया घोषणा पत्र वैट-47 के पार्ट-‘बी’ व ‘सी’ खाली पाये गये थे। प्रकरण में मुख्य विवाद का बिन्दु भी यही है। घोषणा पत्र अपूर्ण के प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स गुलजग

लगातार.....4




इण्डस्ट्रीज के निर्णय 18 टैक्स अपडेट 321 में यह स्पष्ट मत प्रतिपादित किया है कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 78(5) (वेट अधिनियम की धारा-76(6) के समान) के तहत शास्ति आरोपित किया जाना विधिसम्मत है। अपीलार्थी द्वारा अन्य उद्धरित निर्णय प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण उसे सहायक नहीं है।

35 टैक्स अपडेट 189 में बिल व बिल्टी के बोगस नहीं पाये जाने के कारण शास्ति अनुचित ठहराई गई है। 36 टैक्स अपडेट 71 में बिल्टी में Handloom Cotton Cloth के स्थान पर Bails of Cotton Cloth अंकित पाये जाने व बिल की राशि बिल्टी पर अंकित नहीं पाये जाने के तथ्यानुसार शास्ति अविधिक ठहराई गई है। 35 एस.टी.सी. 42 में बिल के बजाय चालान पर राज्य के भीतर माल परिवहन करने को धारा 76(2) की पालना मानते हुए शास्ति अविधिक निर्णीत की गई है। तकनीकी व संदेह के आधार पर उद्धरित निर्णय अपीलार्थी को सहायक नहीं हैं, जबकि शीर्ष न्यायालय ने अपूर्ण घोषणा पत्र की स्थिति में शास्ति को विधिसम्मत निर्णीत किया है।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाकर सशक्त अधिकारी के आदेश दिनांक 22.6.2011 व अपीलीय आदेश दिनांक 14.5.2012 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
08/01/14